

मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
//आदेश//

05/12/2024

भोपाल, दिनांक 26 अक्टूबर 2023

क्रमांक: 2400/2021/202 इस विभाग के समसंख्यक आदेश क्र. 3-22/2013/26-2 दिनांक 18.07.2018 द्वारा निःशक्त छात्र-छात्राओं के उच्च शिक्षा हेतु मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत निःशक्त छात्र-छात्राओं को लेपटॉप एवं मोटराइज्ड ट्रायसाईकिल (बैटरी चलित) दिये जाने के निर्देश जारी किये गये थे।

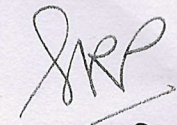
मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के उपर्युक्त निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट किया जाता है कि यदि दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित, मंदबुद्धि छात्र/छात्रा 10वीं कक्षा में प्रथम बार प्रवेश लेते हैं तब ही 9वीं कक्षा में 50 प्रतिशत तथा अस्थिबाधित छात्र/छात्रा 10वीं कक्षा में प्रथम बार प्रवेश लेते हैं तब ही 9वीं कक्षा में 60 प्रतिशत प्राप्तांकों की शर्त लेपटॉप प्रदान करने में लागू होगी। लेकिन आईटीआई में कम्प्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट पाठ्यक्रम अथवा कम्प्यूटर आधारित किसी अन्य पाठ्यक्रम में प्रवेश लेते हैं तब 9वीं कक्षा में प्राप्तांक 50 अथवा 60 प्रतिशत होने की शर्त लागू नहीं होगी।


(सोनाली पोक्षें वायंगणकर)
प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन
सशक्तिकरण विभाग
भोपाल, दिनांक 05/12/2024

पृ.क्र./
प्रतिलिपि :- 2401/2407496/2024/202

1. विशेष सहायक, मा. मंत्री जी सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण।
2. आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण, संचालनालय।
3. आयुक्त, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण/चिकित्सा शिक्षा/ उच्च शिक्षा/ स्कूल शिक्षा/ आदिवासी विकास/अनुसूचित जाति कल्याण/
4. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय।
5. समस्त संभागायुक्त, म.प्र.।
6. समस्त कलेक्टर, म.प्र.।
7. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं ग्रामीण विकास।
8. समस्त संयुक्त संचालक/ उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मध्यप्रदेश।
9. समस्त प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय, क्रमांक-1,2,3 भोपाल


प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन
सशक्तिकरण विभाग

2826
10/12/24
दिनांक
09/12

श्रीवत्सल
01/12